



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40840

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए सं. - 2708 वर्ष 2026

राम प्रवेश राम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:सीताराम यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., प्रांजल मेहरोत्रा

न्यायालय सं.- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम यादव और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से पेश हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार, साथ ही प्रत्यर्थियों के अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा की दलीलें सुनी गईं।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह वर्तमान में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात है और एक संविदा कर्मचारी के तौर पर कार्यरत है; उसका तबादला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सिकरौल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आदमपुर, वाराणसी कर दिया गया है। हालाँकि, 18.08.2023 के परिपत्र और रिट-ए संख्या 14333/2023 (शालिनी कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में 29.08.2023 को पारित आदेश के मद्देनज़र, उसका तबादला नहीं किया जाना चाहिए था। यद्यपि रिट याचिकाकर्ता ने नए पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है और वह स्थानांतरित स्थान पर काम भी कर रहा है, फिर भी उसे उसके मूल स्थान पर वापस भेजने के उसके दावे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता के इस दावे पर विचार करें।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर सर्वप्रथम चौथे प्रत्यर्थी, यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला वाराणसी द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
5. इस निवेदन पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया है।
6. दोनों पक्षों के तर्कों और उनके द्वारा अपनाए गए रुख पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता चौथे प्रत्यर्थी के समक्ष, अपनी रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ, एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। चौथा प्रत्यर्थी, उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से दो माह के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेगा। यदि चौथे प्रत्यर्थी की यह राय बनती है कि इस मामले पर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, तो वह संबंधित कागजात उस प्राधिकारी को हस्तांतरित कर देगा।
7. यह स्पष्ट करना अनावश्यक है कि इस रिट याचिका का निपटारा प्रत्यर्थियों से कोई जवाब मांगे बिना ही किया गया है। अतः, इस आदेश को इस रूप में नहीं समझा जाना चाहिए कि न्यायालय ने इस मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी की है।
8. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, इस रिट याचिका का **निपटारा** किया जाता है।

24 फ़रवरी 2026

आशु

(मा0 न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”